

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

कार्यालय आदेश

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 69(2)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वाणिज्य-कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची, धारा 69(1) में गठित प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो को, अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने हेतु निम्नांकित अनुदेश देते हैं :-

- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो संयुक्त आयुक्त (प्र०) के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- अधिनियम के उद्देश्य हेतु अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी यथासंभव सिर्फ बड़े-बड़े विनिर्माताओं / व्यवसायियों का ही निरीक्षण करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी बड़े-बड़े विनिर्माता/उपक्रमों/ व्यवसायियों से, उनके द्वारा राज्यान्तर्गत एवं अन्तर्राज्य खरीद/ आवकों के आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित रेलवे गोदामों, ट्रान्सपोर्टों से भी माल के आवकों से संबंधित आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी सरकारी विभागों/राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से भी उनके द्वारा खरीद किये जाने संबंधित आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी सरकारी वर्क्स विभागों/ उपक्रमों एवं अन्य बड़े उपक्रमों द्वारा दिए जाने वाले संविदाओं हेतु संवेदक को किए गए भुगतान राशि के भी आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी समय-समय पर योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रकों का गहन निरीक्षण करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी यथासंभव व्यवसायिक बैंकों से भी सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा बैंक बिल्टियों के माध्यम से छुड़ाए जाने वाले कन्साइनमेन्ट के भी आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों/विभागों से प्राप्त खरीद/आवक आँकड़ों का Cross Verification अन्तर्राज्य या राज्य के अन्दर के प्रासंगिक व्यवसायियों से नियमित रूप से करेंगे।
- आँकड़ों एवं वैधानिक प्रपत्रों की सत्यता की जांच हेतु प्रमण्डलीय अन्वेषण के पदाधिकारी अपना प्रायोजित यात्रा दैनिकी आयुक्त को प्रेषित करते हुए, अन्तर्राज्य भ्रमण कर सकेंगे। तत्संबंधी भ्रमण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाएगी। इस उद्देश्य हेतु संयुक्त आयुक्त के माध्यम से सचिव-सह-आयुक्त से अनुमति प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डल के अधीन किसी अंचल के कर-संग्रह में हास हेतु, प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी के समान ही जिम्मेवार होंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त (प्र०) इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र में, प्रत्येक महीने की समाप्ति के तीसरे दिन अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु, प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी निम्नवत् कार्य प्रणाली के अनुरूप कार्य करेंगे -

- (1) बड़े-बड़े व्यवसायियों के निरीक्षण के पहले, संबंधित अंचल प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर उनके Returns की Scrutiny कर, उनके द्वारा किये जाने वाले, संव्यवहारों के सत्यापन के उद्देश्य हेतु, Returns का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में निम्नवत् पहलुओं को ध्यान में रखेंगे -
 - (a) प्रमण्डल के प्रमुख 51 व्यवसायियों की सूची में शामिल व्यवसायियों के कर-राशि में (10 से 20 प्रतिशत की) कमी होने की स्थिति में, गहन जांच एवं निरीक्षण।

- (b) अंतर्राज्य मालों का आवक, जैसे Inter State Purchases, Inter State Arrivals by way of Stock Transfers or Consignment Sales एवं Imports एवं प्रासंगिक वस्तु पर विनिर्दिष्ट कर-दर का सत्यापन करेंगे।
- (c) राज्यान्तर्गत किए जाने वाले खरीद एवं उनमें भुगतान किये गये Input Tax राशि का अध्ययन करेंगे।
- (d) मालों की बिक्री का अध्ययन, विशेषकर विनिर्दिष्ट कर-दर में खरीदे गये वस्तुओं की बिक्री उसी विनिर्दिष्ट कर-दर पर हो रही है या नहीं। उदाहरण स्वरूप व्यवसायी 12.5% एवं 4% दोनों के दर से वस्तुओं का खरीद/आवक करते हों, परन्तु बिक्री सिर्फ 4% कर-दर का ही दिखा रहे हों। ऐसी अवस्था में निरीक्षण के क्रम में Stock के सत्यापन में यह परिलक्षित हो सकेगा।
- (e) अंतर्राज्य खरीद के पश्चात् भी Input Tax exceeding Output Tax की स्थिति बनती हो।
- (f) अगर बेचने वाला व्यवसायी खरीदने वाले व्यवसायी, को एक खास अंतराल में Regular Cash Discount allow करने के पश्चात्, Input Tax exceeding Output Tax की स्थिति बनती हो, तो अधिनियम में प्रयुक्त "बिक्री राशि" की परिभाषा, जिसमें बिक्रय मूल्य में कर राशि रहित है, के अनुसार ही उसकी जांच करेंगे।
- (g) अगर विनिर्माता व्यवसायी अपने उत्पादों को, राज्य के बाहर या अन्दर शाखा अन्तरण करते हैं, तो वैसी अवस्था में वैट नियमावली 2006 के नियम 26(5) से 26(14) में प्रयुक्त सूत्र के आधार पर, Input Tax Credit Amount की पारस्परिक संगणना को ध्यान में रखना।
- (h) अंतर्राज्य Stock Transfer करने वाले व्यवसायियों का स्थाई अभिलेख का भी अध्ययन कर यह जाँच करना कि, केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप अन्य राज्यों हेतु शाखाओं की घोषणा एवं प्रविष्टि निबंधन प्रमाण-पत्र अंकित है अथवा नहीं।
- (i) सभी निरीक्षण प्रतिवेदन चार प्रतियों में होगी, जिसकी पहली प्रति व्यवसायी को हस्तगत कराया जाएगा, दूसरी प्रति मुख्यालय को, तीसरी प्रति संयुक्त आयुक्त (प्र०) को एवं अंतिम प्रति कार्यालय-प्रति होगी।
- (j) निरीक्षण की तिथि के दूसरे ही दिन सभी प्रतिवेदन संचिकाबद्ध करते हुए, संयुक्त आयुक्त (प्र०) को समर्पित की जायेगी।
- (k) संयुक्त आयुक्त (प्र०) निरीक्षण प्रतिवेदनों का अध्ययन करते हुए, अविलम्ब उसे प्रासंगिक अंचल को पृष्ठांकित करते हुए यह अंचलों को निदेश देंगे कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर व्यवसायी विशेष की Returns की Scrutiny हो एवं सभी प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन व्यवसायी के प्रासंगिक अभिलेख में संलग्न हो, इसकी जिम्मेवारी अंचल प्रभारी पर होगी।
- (l) सभी निरीक्षण हेतु प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्त (प्र०) योजनाबद्ध तरीके से, प्रत्येक महीने हेतु "कार्य योजना" बनाकर आयुक्त को प्रेषित करेंगे।
- (m) प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्त (प्र०) नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करेंगे एवं प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रेषित निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाईयों की समीक्षा करेंगे एवं फलाफल प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत करायेंगे।
- (2) बड़े-बड़े विनिर्माताओं/व्यवसायियों, रेलवे, ट्रान्सपोर्टर्स, बैंकों, सभी तरह के सरकारी/ गैर सरकारी उपक्रमों, सरकारी विभागों, सरकारी वर्क्स विभागों से, आँकड़े प्राप्त करने हेतु निम्नांकित कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाएगा:-
- (a) सभी आँकड़े तीन प्रतियों में प्राप्त किये जायेंगे, जिसकी पहली प्रति संबंधित प्रतिष्ठान/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/व्यवसायिक बैंकों को हस्तगत करायी जाएगी, दूसरी प्रति संयुक्त आयुक्त (प्र०) को एवं अंतिम प्रति कार्यालय-प्रति होगी।
- (b) आँकड़े प्राप्ति करने की तिथि के दूसरे दिन ही सभी आँकड़े संयुक्त आयुक्त (प्र०) को प्रेषित/समर्पित किये जायेंगे।
- (c) संयुक्त आयुक्त (प्र०) प्राप्त आँकड़ों को पुनः संकलित कर, संबंधित अंचलों को अविलम्ब प्रेषित करते हुए, इसकी सूचना पुनः आयुक्त को देंगे।

- (3) प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो पदाधिकारियों के द्वारा राज्य के सीमावर्ती या अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गों पर किये जाने वाले ट्रकों का निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्यप्रणाली अपनायेंगे :-
- प्रत्येक ट्रक के निरीक्षण हेतु अलग-अलग निरीक्षण प्रतिवेदन यथा - Consignor, Consignee, TIN, Bill / Invoice / Challan Nos. for the quantity as well as value of goods, JVAT 504G/ 504B/504P (as the case may be), along with date and number of consignment note of the transporter की प्रविष्टि, निरीक्षण प्रतिवेदन में की जायेगी।
 - निरीक्षण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में होगी, जिसकी पहली प्रति ट्रक चालक को, दूसरी प्रति संयुक्त आयुक्त (प्र०) को हस्तगत करायी जाएगी एवं अंतिम प्रति कार्यालय-प्रति होगी।
 - परिवहन जाँच से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण के तुरन्त पश्चात् चालक को हस्तगत करा दिया जाएगा।
 - निरीक्षण की तिथि के दूसरे ही दिन ही सभी निरीक्षण प्रतिवेदन को संचिकाबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त (प्र०) को समर्पित किये जाएं।
 - संयुक्त आयुक्त (प्र०) निरीक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन करते हुए अविलम्ब उसे प्रासंगिक अंचल को पृष्ठांकित करते हुए, यह निदेश देंगे कि इन प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर, व्यवसायी विशेष की Returns की Scrutiny हो, एवं यह प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन व्यवसायी के प्रासंगिक अभिलेख में संलग्न करने की जिम्मेवारी अंचल प्रभारी पर होगी।

ह०/-

(अलका तिवारी)

वाणिज्य-कर आयुक्त,

झारखण्ड, राँची।

ज्ञाप संख्या- वा० कर 1/वैट/कर संग्रह (अ०ब्यूरो)/8/2008-2086/राँची, दिनांक - 10/8/09
प्रतिलिपि : सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उन्हें निदेश दिया जाता है कि दिये गये अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

A. Jivari
10/8/09
वाणिज्य-कर आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।